पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
CIN:- U40101UR2004SGC028675
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
email:- hr@ptcul.org
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वेबसाइट www.ptcul.org

पत्रांक 1971 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/एच–8 दिनांक :02.11.2026

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 की निदेशक मण्डल की दिनांक 22.10.2026 को सम्पन्न 109वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा आइटम संख्या 109.18 में निदेशक मण्डल के अनुमोदनोपरान्त इण्डस्ट्रियल ट्रेनी (कम्पनी सचिव ट्रेनी) एवं मैनेजमैन्ट ट्रेनी (वित्त, मानव संसाधन एवं विधि) को देय प्रतिमाह मानदेय रु0 15,000.00 (रु0 पन्द्रह हजार मात्र) से बढाकर रु0 25,000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वर्तमान में रखे गये इण्डस्ट्रियल ट्रेनी/मैनेजमैन्ट ट्रेनी को आदेश निर्गमन की तिथि से देय होगा।

कारपोरेशन में कार्यावश्यकता के अनुरुप इण्डस्ट्रियल ट्रेनी (कम्पनी सचिव ट्रेनी) को अधिकतम 21 माह अथ्वा समय–समय पर ICSI द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार तथा विभिन्न विभाग/संवर्ग में मैनेजमैन्ट ट्रेनी (वित्त, मानव संसाधन एवं विधि हेतु) को 01 वर्ष के स्थान पर 02 वर्ष, जोकि अधिकतम 03 वर्ष तक तक बढाया जा सकता है, की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विधि विभाग में मैनेजमैन्ट ट्रेनी (विधि) के LLB/LLM योग्यताधारी अधिकतम 02 मैनेजमैन्ट ट्रेनी को 02 वर्ष जोकि अधिकतम 03 वर्ष तक बढाया जा सकता है, की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

पत्रांक : 1971 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/एच–6 तद्दिनाक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, पिटकुल।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल,।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0–II), पिटकुल, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को पिटकुल की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. कट फाईल।

(अशोक कुमार जुयाल)
महाप्रबन्धक(मा0सं0)(औ0)